न्यामूर्ति अजय लांबा के समक्ष

जगदीश,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 2010 का 15834

18 मई, 2011

भारत का संविधान,-अनुच्छेद 226-पंजाब भूमि राजस्व नियम, 1909- नियम 14, 17 और 20-लम्बरदार की नियुक्ति-उम्मीदवारों की योग्यता-उम्मीदवारों के निर्वहन किए जाने वाले कर्तव्यों का संदर्भ में उपयुक्तता पर विचार किया जाना है

---

(4) 2002 (1) एस. सी. टी 1124

-क्या किसी उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले का विचाराधीनता एक ऐसी परिस्थिति है जो उसे लम्बरदार के रूप में सेवा करने के लिए अनुपयुक्त मानती है-आपराधिक कार्यवाही-कानून की अदालत द्वारा आरोप तय किए गए हैं-उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा करने के लिए पात्र है-हालांकि, उपयुक्त नहीं होगा।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अधिकारियों को पहले उम्मीदवारों की पात्रता पर विचार करना आवश्यक है और उसके बाद उम्मीदवारों की लैम्बरदार के रूप में सेवा करने की उपयुक्तता पर विचार करना आवश्यक है।पंजाब भूमि राजस्व नियमों के नियम 20 के तहत दिए गए कर्तव्यों के निर्वहन के संदर्भ में उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर विचार किया जाना आवश्यक है।

(पैरा 12)

आगे अभिनिर्धारित किया गया कि मामले में प्रतिवादी सुल्तान सिंह एक आपराधिक मामले में शामिल है।न्यायालय द्वारा आरोप तय किए गए हैं और उक्त प्रतिवादी को मुकदमे का सामना करना होगा।ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि हालाँकि प्रतिवादी लम्बरदार के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का पात्र है, लेकिन वह उपयुक्त नहीं होगा।ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि याचिकाकर्ता और गैर सरकारी प्रतिवादी की योग्यता लगभग तुलनीय है।

(पैरा 15)

हरकेश मनुजा, अधिवक्ता याचिकाकर्ता की ओर से ।

बी. एस. सैनी, सीनियर डी. ए. जी, हरियाणा।

ए. के. बुरा, अधिवक्ता, प्रतिवादी नं.4 के लिए.

न्यामूर्ति अजय लाम्बा, (मौखिक)

(1) गांव गढ़ी उजालेखान, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत के लिए लम्बरदार की नियुक्ति की जानी थी।

(2) कलेक्टर, सोनीपत द्वारा पारित आदेश संलग्नक पी-1 दिनांकित 31.10.2006 के अनुसार, याचिकाकर्ता को गाँव के लिए मुखिया/लैम्बरदार नियुक्त किया गया था।प्रतिवादी नं. 4-सुल्तान सिंह और एक जसपाल ने अपील की।रोहतक डिवीजन, रोहतक के आयुक्त द्वारा पारित आदेश संलग्नक पी-3 दिनांकित 01.02.2008 के माध्यम से, प्रतिवादी सं. 4-सुल्तान सिंह को लम्बरदार नियुक्त किया गया।

याचिकाकर्ता ने वित्तीय आयुक्त के समक्ष एक पुन: निरिक्षण दायर किया।वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.11.2008 संलग्नक पी-4 के अनुसार, याचिकाकर्ता को लम्बरदार के रूप में नियुक्त किया गया था।आदेश संलग्नक पी-4 के अवलोकन से संकेत मिलता है कि आयुक्त द्वारा पारित आदेश को दरकिनार

कर दिया गया था।कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया है और याचिकाकर्ता को लम्बरदार नियुक्त किया गया है।

(3) वित्तीय आयुक्त द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जबकि प्रतिवादी के खिलाफ प्राथमिकी आर. नं. 4 उसे लम्बरदार के रूप में नियुक्ति से अयोग्य नहीं ठहराता है, लेकिन, याचिकाकर्ता को कलेक्टर द्वारा अधिक योग्य पाया गया है, जिसकी पसंद में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि आदेश में अवैधता न हो।

(4) प्रतिवादी नं. 4 ने 2009 की सिविल रिट याचिका संख्या 2509 दायर की जिसे आदेश संलग्नक पी-5 दिनांक 17.02.2009 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

(5) प्रतिवादी ने 2009 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 538 दायर की, जिसे दिनांक 17.03.2010 के आदेश संलग्नक पी-6 के माध्यम से अनुमति दी गई है।यह अभिनिर्धारित किया कि गया है कि कलेक्टर द्वारा उम्मीदवारों की तुलनात्मक योग्यता पर विचार नहीं किया गया था।प्रतिवादी सं. 4 की उम्मीदवारी को प्राथमिकी के विचाराधीनता होने के आधार पर खारिज कर दिया गया था। वित्तीय आयुक्त ने उम्मीदवारों की योग्यता के बारे में कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किया था।वित्तीय आयुक्त ने संभागीय आयुक्त के इस आदेश में गलती खोजने का कोई कारण भी दर्ज नहीं किया था कि भा.दं.सं. की धारा 325 के तहत आरोप किसी उम्मीदवार को अयोग्य नहीं ठहरा सकता है।ऐसी परिस्थितियों में, मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए वित्तीय आयुक्त के पास भेज दिया गया था।

(6) विवादित आदेश संलग्नक पी-7 के माध्यम से, वित्तीय आयुक्त, हरियाणा ने प्रतिवादी नं. 4 को लम्बरदार के रूप में नियुक्ति का आदेश दिया।आक्षेपित आदेश में आपराधिक मामले के संबंध में निम्नलिखित कहा गया है:-

> "मैंने दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को पढ़ा है।जहाँ तक सुल्तान सिंह के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले का संबंध है, मैं इस तर्क को स्वीकार करता हूँ कि यह एक तुच्छ मामला है।5 साल बाद भी किसी भी अदालत में उसके खिलाफ कोई परिणाम या सबूत नहीं आया है।जाँच अधिकारी पहले ही उसकी बेगुनाही

के बारे में अपना निष्कर्ष दे चुका है।इसलिए, मैं मानता हूं कि उक्त प्राथमिकी 5 साल पहले और लम्बरदार की नियुक्ति के लिए कार्यवाही शुरू होने के बाद

दर्ज की गई थी और जिसमें कोई प्रतिकूल निष्कर्ष रिकॉर्ड पर नहीं आया है, को प्रतिवादी सुल्तान सिंह के खिलाफ अभिनिर्धारित नहीं कीया जा सकता है।"

(7) सापेक्ष योग्यता के संबंध में, यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता और गैर सरकारी प्रतिवादी लगभग एक ही आयु के हैं।प्रतिवादी-सुल्तान सिंह मैट्रिक पास है जबकि याचिकाकर्ता 7वीं पास है।सुल्तान सिंह मृतक लम्बरदार के पुत्र हैं और उन्होंने सरबरा लम्बरदार के रूप में भी कार्य किया है।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने बताया है कि वित्तीय आयुक्त द्वारा आक्षेपित आदेश में आपराधिक मामले को ऐसे दरकिनार नहीं किया जा सकता था! प्रतिवादी नं. 4 के खिलाफ सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा आरोप तय करना प्रथमदृष्टया प्रतिवादी की संलिप्तता का संकेत देता है।

(9) प्रतिवादी सँख्या के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी को दोषी नहीं ठहराया गया है और इसलिए, किसी आपराधिक मामले में भागीदारी को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

(10) मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है।

(11) इस न्यायालय द्वारा निर्णय लेने के लिए आवश्यक मुख्य मुद्दा है की क्या प्रतिवादी नंबर 4 के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित होना एक परिस्थिति है जो प्रतिवादी को लंबरदार के रूप में सेवा करने के लिए अनुपयुक्त मानने के लिए पर्याप्त है।

(12) पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अधिकारियों को पहले उम्मीदवारों की पात्रता पर विचार करना आवश्यक है और उसके बाद उम्मीदवारों की लम्बरदार के रूप में सेवा करने की उपयुक्तता पर विचार करना आवश्यक है।पंजाब भूमि राजस्व नियमों के नियम 20 के तहत दिए गए कर्तव्यों के निर्वहन के संदर्भ में उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर विचार

किया जाना आवश्यक है। **2008 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 9552, जिसका शीर्षक था, हरभजन सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त (सहयोग), पंजाब और अन्यः निर्णित 28.04.2011 के पैरा** 8 और **9 में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया है:-**

"8. हेडमैन/लम्बरदार के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, नियम 20 के तहत, एक व्यक्ति के पास एक त्रुटिहीन रिकॉर्ड और अच्छा चरित्र होना आवश्यक है।

पंजाब भूमि राजस्व नियमों के नियम 20 में दिये गये कर्तव्य जो मुखिया/लम्बरदार को निर्वहन करने हैं, निम्नलिखित अनुसार हैं:-

"20. **मुखिया के कर्तव्य**.- किसी भी उद्देश्य के लिए कानून द्वारा मुखिया पर लगाए गए कर्तव्यों के अलावा, एक मुखिया-

(i) नियत तारीख तक सभी भूमि राजस्व और सभी राशियों को एकत्र करेगा, जो संपत्ति से भूमि राजस्व के रूप में वसूल की जा सकती हैं, या किसी संपत्ति के उप-विभाजन जिसमें वह पद धारण करता है, और उसी का भुगतान व्यक्तिगत रूप से या राजस्व धन आदेश द्वारा या मुद्रा नोटों को डाक द्वारा से [या उन स्थानों पर जहां भारतीय स्टेट बैंक या किसी अनुसूचित बैंक द्वारा ट्रेजरी व्यवसाय किया जाता है, स्थानीय बैंक पर चेक द्वारा] राजस्व अधिकारी या उसे प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत समनुदेशिती को उस स्थान और समय पर करेगा।

(ii) आम भूमि के किराए और अन्य आय एकत्र करें और उनके लिए उन लोगों को लेखा दें जो इसके हकदार हैं।

(iii) भूस्वामियों और किरायेदारों की पुस्तकों में उसके द्वारा प्राप्त प्रत्येक भुगतान को स्वीकार करें;

(iv) संपत्ति के संयुक्त खर्चों का भुगतान करना और उसके खातों को देना जो उसके लिए विधिवत आवश्यक हो;

[(v) तहसीलदार को मृत्यु या भूमि राजस्व के किसी समनुदेशिती या संपत्ति में रहने वाले सरकारी पेंशनभोगी, या पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाली और संपत्ति में रहने वाली महिला की शादी या पुनर्विवाह, या एक वर्ष से अधिक समय से ऐसे किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में की सूचना दें।

[(vi) तहसीलदार और कलेक्टर को सड़कों, सार्वजनिक सड़कों और सरकारी, नजुल और पंचायत की भूमि पर हुए सभी अतिक्रमणों और नुकसान की सूचना दें;]

(vii) सरकारी भवनों को हुए किसी भी नुकसान की सूचना दें।

(viii) कलेक्टर से प्राप्त किसी भी आदेश को अपनी योग्यता के अनुसार पूरा करें, जिसमें उससे जानकारी प्रदान करने या सैनिकों या ड्यूटी पर सरकारी अधिकारियों के लिए भुगतान आपूर्ति या परिवहन के साधन प्रदान करने में सहायता करने की आवश्यकता होती है;

(ix) इस तरह से सहायता करें कि कलेक्टर समय-समय पर सभी फसल निरीक्षणों, उत्परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग, सर्वेक्षण, अधिकार के रिकॉर्ड तैयार करने या संपत्ति की सीमा के भीतर किए गए अन्य राजस्व व्यवसाय में निर्देश दे;

(x) संपदा में अधिकार क्षेत्र रखने वाले सभी प्राधिकरणों के सम्मन में भाग लें, अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के निष्पादन में सरकार के सभी अधिकारियों की सहायता करें, अपनी योग्यता के अनुसार किसी भी स्थानीय जानकारी की आपूर्ति करें जिसकी उन अधिकारियों को आवश्यकता हो सकती है, और आम तौर पर भूमि मालिकों, किरायेदारों और उस संपत्ति के संपत्ति या उप-मंडल के निवासियों के लिए कार्य करें जिसमें वह सरकार के साथ अपने संबंधों में पद धारण करता है;

(xi) पशुओं [या मनुष्यों] में बीमारी के किसी भी प्रकोप की सूचना पटवारियों को दें;

(xii) पटवारियों को उनके क्षेत्र में किसी भी अधिकार धारक की मृत्यु की सूचना दें;

(Xiii) सरकारी सिंचाई कि नहर या चैनल को काटने या उल्लंघन करने की रिपोर्ट निकटतम नहर अधिकारी नहर या पटवारी को करें ;

(xiv) कलेक्टर के सामान्य या विशेष निर्देशों के तहत, सैन्य सेवा के लिए भर्तियों के संग्रह और नामांकन में, चाहे वह लड़ाकू हो या गैर-लड़ाकू, अपने व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करके और अन्यथा कलेक्टर द्वारा विधिवत अधिकृत सरकार के सभी अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों की सहायता करें;

(xv) गाँव में रात बिताते समय गाँव के डाकिये को नकदी और अन्य कीमती सामानों की सुरक्षा के लिए हर संभव सहायता प्रदान करें।"

9. कर्तव्यों के निर्वहन के लिए, जैसा कि ऊपर निकाले गए नियम 20 के प्रावधानों से पता लगता है, लम्बरदार को संपदा में निवासियों के साथ बातचीत करने और जानकारी एकत्र करने, राजस्व अधिकारियों की सहायता करने आदि की आवश्यकता होती है। यदि किसी लम्बरदार का साफ-सुथरा रिकॉर्ड नहीं है, तो निश्चित रूप से कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं किया जा सकता है।इन परिस्थितियों में एक लम्बरदार का एक साफ-सुथरा रिकॉर्ड होना आवश्यक है।हालाँकि, याचिकाकर्ता और गैर सरकारी आपराधिक मामलों में शामिल हैं और इसलिए, लम्बरदार के कार्यों का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं।

(13) जोग ध्यान बनाम वित्तीय आयुक्त, हरियाणा **और अन्य (1)** में **एक खण्ड पीठ ने पैरा सं. 13 निम्नलिखित शब्दों में अभिनिर्धारित किया है (प्रासंगिक भाग):-**

"यह सच हो सकता है कि एक बार जब कोई अभियुक्त अपने खिलाफ बनाए गए आपराधिक आरोप से बरी हो जाता है, भले ही संदेह का लाभ देकर, उसे

निर्दोष माना जाता है, लेकिन साथ ही, ऐसा व्यक्ति जनता से सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि निश्चित रूप से, लोगों को उस व्यक्ति पर अधिक विश्वास और भरोसा नहीं हो सकता है, जिसे भले ही बरी कर दिया गया हो, लेकिन जिस पर हत्या का मुकदमा चलाया गया हो और वह न्यायिक या पुलिस में हिरासत में रहा हो।

(14) गुरदेव सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त (अपील-II), पंजाब, चंडीगढ़ और अन्य (2) मामले में पैरा 8 निम्नलिखित में अभिनिर्धारित किया गया है। (प्रासंगिक भाग):-

"...... जिस तरह से कलेक्टर और अन्य अधिकारी एक आदेश और दूसरे को पारित करने में डगमगा रहे हैं, वे उनके बारे में अच्छी बात नहीं करेंगे।प्रतिवादी संख्या 4 उच्च योग्य है लेकिन वह सरकारी सेवा में होने के कारण इस दुर्बलता से पीड़ित है।यह निश्चित रूप से एक ऐसा तथ्य है जिसे अधिकारियों द्वारा उन्हें लम्बरदार के पद के लिए नियुक्त करते समय ध्यान में रखा जा सकता है।वह छोटा है जो उसके पक्ष में एक फायदा है लेकिन वह एक साफ रिकॉर्ड बनाए रखने में समर्थ नहीं रहा है और उसके तहत एक गंभीर आरोप **भा.दं.सं. की धारा 304बी** के लिए अभियोजन का सामना करना पड़ा है।

---

(1) 2005 (2) पी. एल. आर. 305

(2) 2009 (4) आर. सी. आर. (सी) 808

हो सकता है कि वह दोषमुक्ति हो गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसका रिकॉर्ड एक साफ-सुथरा है।काबुल सिंह (ऊपर) (काबुल सिंह बनाम वित्तीय आयुक्त, पंजाब, 2006 (3) आर. सी. आर. (सिविल) 313) और जोग ध्यान (ऊपर) (जोग ध्यान बनाम वित्तीय आयुक्त, हरियाणा और अन्य, 2005 (1) आर. सी. आर. (सिविल) 658) के मामलों में, इस न्यायालय की दो अलग-अलग खंड पीठों ने इस पहलू पर विचार किया और यह विचार रखा कि किसी व्यक्ति को लम्बरदार के रूप में नियुक्त करने पर विचार करते समय आपराधिक

आरोप से दोषमुक्तिना भी इस तथ्य को नजरअंदाज करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।आखिरकार, लम्बरदार को बड़े पैमाने पर लोगों के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है और उन्हें लम्बरदार में विश्वास होना चाहिए, जो कुछ हद तक, अगर कोई आपराधिक मामले में शामिल रहता है और नियुक्त किया जाता है, तो उसे नुकसान होगा।आपराधिक मुकदमे की हमारी प्रणाली में बरी होने का मतलब होगा कि दोषमुक्ति पक्ष आरोप साबित करने में समर्थ नहीं है।......" (जोर दिया गया)।

(15) हाथ में मामले में, प्रतिवादी सुल्तान सिंह एक आपराधिक मामले में शामिल है।अदालत द्वारा आरोप तय किए गए हैं और उक्त प्रतिवादी को मुकदमे का सामना करना होगा।ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि हालाँकि प्रतिवादी लम्बरदार के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का पात्र है, लेकिन यह उपयुक्त नहीं होगा।ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि याचिकाकर्ता और निजी प्रतिवादी की योग्यता लगभग तुलनीय है।वित्तीय आयुक्त ने विवादित आदेश संलग्नक पी-7 दिनांक 03.08.2010 में कानून पर, जैसा कि ऊपर देखा गया है, सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है।

(16) मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इस याचिका की अनुमति दी जाती है।वित्तीय आयुक्त द्वारा पारित 03.08.2010 दिनांकित आदेश संलग्नक पी-7 और आयुक्त रोहतक द्वारा पारित 01.02.2008 दिनांकित आदेश संलग्नक पी-3 को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।कलेक्टर द्वारा पारित आदेश संलग्नक पी-1 को बरकरार रखा गया है।

(17) कोई लागत नहीं।

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देस्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा|

हुकम सिंह,
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)